कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में दायर अपील संख्या 3204/2016 श्री चन्द्रप्रकाश साहू, प्रधानाचार्य बनाम सरकार में माननीय् अपील अधिकरण–जयपुर के आदेश दिनांक 11.11.16 के द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 19–10–2016 का क्रियान्वयन, अपीलार्थी (श्री चन्द्रप्रकाश साहू) के सम्बन्ध में अधिकरण के अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाने के कारण, अपील में दिए जाने वाले आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन श्री चन्द्रप्रकाश साहू प्रधानाचार्य, रा. उ मा वि, मणकसास–झुंझुनूं में एवं श्री रघुवीर सिंह, प्रधानाचार्य राउमावि, चाम्पासर–बाप जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत रहने सम्बधी समसंख्यक आदेश दिनांक 13–12–2016 जारी किया गया था, को एतद् द्वारा माननीय् न्यायालय निर्णय की अनुपालनार्थ प्रत्याहरित किया जाता है।

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में ही दायर अन्य अपील संख्या–3775/2016 श्री रघुवीर सिहं प्रधानाचार्य–उमावि बनाम सरकार को उक्त अपील संख्या–3204/2016 के साथ क्लब/सयुंक्त रूप से सुना जाकर, माननीय् न्यायालय द्वारा प्रदत्त **अन्तिम निर्णय दिनांक : 16–10–2017** के अनुसार अपील संख्या 3204/2016 श्री चन्द्र प्रकाश सोहू बनाम सरकार मय खर्चा एवं विशेष हर्जा राशि रूपये 5000/–(अखरे रूपये पांच हजार मात्र) सहित खारिज कर दी है, तथा माननीय् न्यायालय के ही निर्देशानुसार श्री चन्द्रप्रकाश सोहू के ठीक आगामी माह के दैय वेतन मे से विशेष हर्जे की राशि रूपये 5000/– की कटौती कर राजकोष में सुसंगत मद में जमा करवाकर पालना रिपोर्ट माननीय् अधिकरण को प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री रघुवीर सिहं की अपील संख्या–3775/2016 को मय खर्चा एवं विशेष हर्जा राशि रूपये 5000/–सहित स्वीकार की जाकर, आलोच्य आदेश दिनांक 30–11–2016 को अपास्त किया गया है तथा अपीलार्थी श्री चन्द्र प्रकाश सोहू के ठीक आगामी माह के दैय वेतन में से विशेष हर्जा राशि रूपये 5000/– की कटौती कर अपीलार्थी श्री रघुवीर सिहं के बैंक खाते में जमा करवाने, यथाशीघ्र पालना रिपोर्ट माननीय् अधिकरण को भिजवाये जाने के, निर्देश भी प्रदान किये गये है।

अतः **माननीय् न्यायालय् के उक्त निर्णय की अनुपालना में श्री रघुवीर सिहं, अपीलार्थी को, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मनकसास–उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं में प्रधानाचार्य–उमावि के रूप में कार्यग्रहण करने की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।**

– – – लगातार 2

प्रकरण में द्वितीय प्रार्थीगण श्री चन्द्रप्रकाश सोहू के सन्दर्भ में सम्बधित नियन्त्रण अधिकारी सम्बधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि श्री चन्द्र प्रकाश सोहू के ठीक आगामी माह मे वेतन में से माननीय् अधिकरण के निर्देशानुसार राशि रूपये 5000/– राजकोष में सुसंगत मद में तथा द्वितीय अपीलार्थी श्री रघुवीर सिहं प्रधानाचार्य के बैंक खाते में हर्जा व खर्चा राशि रूपये 5000/– इस प्रकार कुल 10,000/– (दस हजार रूपये मात्र) की कटौती कर, अनुपालना रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें। **श्री चन्द्र प्रकाश सोहू प्रधानाचार्य के सन्दर्भ में विभागीय प्राथमिकता एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के मध्य नजर, अन्यत्र विद्यालय में पदस्थापन हेतु आदेश, पृथक से प्रसारित किये जा रहे है।** सभी सम्बधित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/मा/संस्था/बी–2/अपील–3204/चन्द्रप्रकाश सोहू/2016 दिनांक – 25 जनवरी 2018.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1 उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर
2 सिस्टम एनालिस्ट कम संयुक्त निदेशक,कार्यालय हाजा को सम्बन्धित पृष्ठांकितों को ईमेल हेतु ।
3 संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I/II) को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु निर्देशानुसार वेतन से कटौती की कार्यवाही कर, इस कार्यालय/माननीय् न्यायालय को अवगत करावें।
5 जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक विधि) जयपुर को सूचनार्थ।
6 प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैब–साईट पर अपलोडिंग तथा सम्बधित को ई–मेल कराने हेतु।
6 अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।**(विधि/बी–3/29917/जे/16 दि 12–12–17)**
7 संबंधित संस्था प्रधान/सम्बधित कार्मिक को पालनार्थ।
8 निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर